न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/2892 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.7.17 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मानपुर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 0033/अ—12/2016—17.

.....

1—रामरूप पुत्र रामकिशन मीणा
2—मुरारी पुत्र हीरालाल मीणा
3—सत्यनारायण पुत्र हीरालाल मीणा
निवासीगण ग्राम मेवाड़ तहसील
व जिला श्योपुर म0 प्र0
4—लेखराज पुत्र रामनाथ मीणा
5—रामजन्म पुत्र हरिओम मीणा
6—रामलखन पुत्र रामनाथ मीणा
7—रामस्वरूप पुत्र रामनाथ मीणा
निवासीगण ग्राम जावदेश्वर
तहसील मानपुर जिला श्योपुर
म0 प्र0 ———अनावेदकगण

विरूद्ध

1—म0 प्र0 शासन जर्ये कलेक्टर श्योपुर म0 प्र0
2—तत्कालीन राजस्व निरीक्षक वृत्त मानपुर
3—भरत पुत्र सियाराम मीण
निवासी ग्राम बेहरावदा तहसील
मानपुर जिला श्योपुर म0 प्र0 ———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, पेनल अना0 1, 2
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक अना0 क0—3

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/2892

//2//

.....

आदेश

(आज दिनांक 02/07/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त मानपुर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश 10.7.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–3 ने ग्राम मेवाड़ा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 704 रकवा 8 बीघा 17 विसवा सर्वे कमांक 706 रकवा 20 बीघा 18 विस्वा के सीमांकन हेतु एक आवेदन नायब तहसीलदार वृत्त मानपुर को दिया गया जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन उपरांत अपना प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 10.7.17 को आदेश पारित किया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधि विधन के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के पूर्व आवेदकगणों को कोई सूचना नहीं दी और आवेदकगण की गैर मोजदगी में सीमांकन कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। सीमांकन किस तारीख को किया गया मौका पंचनामा कब बनाया गया रसीद किस तारीख को दी गई ऐसा कोई भी उल्लेख अपने प्रतिवेदन में नहीं दियाा गया है जिससे सीमांकन कार्यवाही दूषित प्रतीत होती है। सीमांकन आदेश दिनांक 15.7.15 को दिया गया और 10.7.17 को नायब तहसीलदार के समक्ष

सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है लगभग 2 वर्ष पश्चात सीमांकन रिपोर्ट दी गई है जिसके विलंब के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ऐसी स्थिति में सीमांकन की अनियमित प्रकिया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.7.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4—अनावेदकगण के अधिवक्तागण के तर्क में कहा गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के तहत ही आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उनका आदेश विधि प्रकिया से उचित है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

5—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि प्रकरण में संलग्न अभिलेख के पृष्ठ 16 में संलग्न सूचना पत्र 1 से 18 व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये हैं लेकिन उस पर मात्र 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही है इससे यह प्रतीत होता है कि सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसंर नहीं दिया गया है। जबकि सीमांकन करने में धारा 129 के प्रावधानो के अनुसार सरहदी कास्तकारों को सूचना होना अनिवार्य है। इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मानपुर का आदेश दिनांक 10.7.17 स्थिर रखने के योग्य नहीं है।

6—उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार मानपुर जिला श्योपुर का प्रकरण कमांक 0033/अ—12/2016—17 में पारित आदेश दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार मानपुर

को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये। सीमाकन की कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर